

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.-37...../2024

1. तुलछी पत्नी जगदीश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु।
2. भंवरलाल पुत्र जगदीश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु।
3. लालचन्द पुत्र जगदीश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थीगण -

वनाम
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

- अप्रार्थीगण -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 08.02.2024


प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा राजपुरा तहसील तारानगर के खसरा नं. 813/630 तादादी 3.2498 हेक्ट., खसरा नं. 817/363 तादादी 2.5543 हेक्ट. कुल तादादी 5.8041 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीगण 1 के पति व प्रार्थीगण 2 ता 3 के पिता का नाम क्रमशः जगुराम अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण 1 के पति व प्रार्थीगण 2 ता 3 के पिता का नाम जगदीश सही हैं। प्रार्थीगण 1 ता 3 के आधार कार्ड, मूल निवास, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण 1 के पति व प्रार्थीगण 2 ता 3 के पिता का नाम जगदीश है, जो कि सही नाम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल वेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कृषि भूमि रोही मौजा राजपुरा तहसील तारानगर के खसरा नं. 813/630 तादादी 3.2498 हेक्ट., खसरा नं. 817/363 तादादी 2.5543 हेक्ट. कुल तादादी 5.8041 हेक्ट. में प्रार्थीगण 1 के पति व प्रार्थीगण 2 ता 3 के पिता का नाम जगदीश किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। भू.अ.नि. सात्यूं कि रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण 1 के पति व प्रार्थीगण 2 ता 3 के पिता का नाम जगदीश राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहते हैं। अब अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण 1 के पति व प्रार्थीगण 2 ता 3 के पिता का नाम क्रमशः जगुराम अंकित की जगह जगदीश करवाने चाहते हैं। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण 1 के पति व प्रार्थीगण 2 ता 3 के पिता का नाम क्रमशः जगुराम अंकित है। अतः प्रार्थीगण 1 के पति व प्रार्थीगण 2 ता 3 के पिता का नाम क्रमशः जगुराम की जगह जगदीश दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि भू.अ.नि. सात्यूं कि रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र कृषि भूमि रोही मौजा राजपुरा तहसील तारानगर के खसरा नं. 813/630 तादादी 3.2498 हेक्ट., खसरा नं. 817/363 तादादी 2.5543 हेक्ट. कुल तादादी 5.8041 हेक्ट. की जमाबन्दी में प्रार्थीगण 1 के पति व प्रार्थीगण 2 ता 3 के पिता का नाम क्रमशः जगुराम के स्थान पर जगदीश दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान कियें जातें हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।




(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)